



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

वाहन शाखा — साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक कोरबा, (छ.ग.)
दुरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759.221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड -495677

Website : WWW. Korbamunicipal.in, Email : Mck.Vehiclesection@gmail.com

फा.क./598/3/वाहन/2025

कोरबा दिनांक 04.04.2025

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा अन्तर्गत क्षेत्र भ्रमण के लिए अच्छे कंडीशन के वाहन किराया पर मासिक दर में लिया जाना है, जिसके लिए प्रदायकर्ता से फार्म 'बी' में निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 1 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 21.04.2025 सायंकाल 3:00 बजे तक
- 2 निविदा खुलने की अंतिम तिथि तक - 21.04.2025 सायंकाल 4:30 बजे

क	वाहन का नाम	प्राक्कलन राशि रु	धरोहर राशि रु	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1.	नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 01 नग इंनोवा (किस्टा) वाहन ए.सी. सहित किराये पर प्रदाय करने बावत्। (निगम मद)	9,00,000/-	27,000/-	750/-	12 माह	21.04.2025

शर्त :-

- 1 निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- 2 निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रदायकर्ताओं का प्रमाण पत्र, यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन के साथ कार्य अनुभव की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, एवं आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा की रसीद जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, के नाम से देय होगा उसे जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा।
- 3 निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
- 4 (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण पत्र की कंडिका क्र. 1, 2 एवं 3 के साथ ही निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. /एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी।
- 5 जिन निविदाकारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- 6 पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे प्रदायकर्ताओं या उनके वैधानिक प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहें तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
- 7 निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- 9 निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त/महापौर के द्वारा अधिकृत अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 10 किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। वाहन का पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य होगी। वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, वाहन अच्छी कंडीशन में नहीं होने पर कार्य स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

- 11 वाहन संपन्न दस्तावेज जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। बीमा संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा किया जाना होगा।
- 12 वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
- 13 किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा।
- 14 वाहन की मरम्मत, रख-रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।
- 15 उपयोग के दौरान वाहन के खराब होने की स्थिति में समतुल्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वाहन तत्काल उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी फर्म की होगी।
- 16 वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जावेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो भासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।
- 17 फर्म के द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी (आधारकार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति) उपलब्ध करायी जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कम से कम 03 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव हो तथा वाहन चालक के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक / दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।
- 18 वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को संचारित करना होगा एवं उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा।
- 19 लॉग बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ देयक एक प्रति में प्रस्तुत करना होगा। फर्म द्वारा बैंक खाते का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 20 देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।
- 21 वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, भत्ता आदि) फर्म द्वारा देय होगा।
- 22 वाहन चालक के अवकाश पर रहने या अस्वस्थ होने पर फर्म के द्वारा तत्काल दूसरे अर्हताधारी वाहन चालक की व्यवस्था की जायेगी।
- 23 दर निर्धारण पश्चात् नियत अवधि हेतु कार्यादेश दिया जावेगा। कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों का एजेंसी के द्वारा उल्लंघन करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी समय कार्यादेश रद्द करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित होगा।
- 24 नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जी.एस.टी. में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
- 25 उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार का निर्धारण करने का अधिकार कार्यालय को होगा।
- 26 वाहनों के दरों के निर्धारण पश्चात् फर्म द्वारा राशि 1,00,000/- रु. का सावधि जमा, किराये से वाहन प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम से धरोहर / अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। उक्त फर्म का वाहन जब तक कार्यालय में उपयोग किया जाएगा, तब तक उक्त राशि जमा रहेगी। फर्म के द्वारा कार्यालय से वाहन हटाये जाने के पश्चात् ही अमानत राशि फर्म को वापस की जावेगी। शर्त के उल्लंघन पर अमानत राशि जप्त किया जायेगा।
- 27 स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवलस एजेंसी/फर्म की होगी। अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अन्य एजेंसी/फर्म से वाहन प्राप्त किया जायेगा।
- 28 वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा लिया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।
- 29 मासिक किराया दर में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. चलित दौरा सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल/डीजल फर्म के द्वारा देय होगा। मासिक 2000 कि.मी. से अधिक चलने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त किराया देय होगा।
- 30 वाहन में फास्टेज की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।

- 31 वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म को कार्यालय प्रमुख के साथ शर्तों के अनुरूप अनुबंध निष्पादित करना होगा।
32 अन्य सूचनायें नगर पालिक निगम साकेत भवन, रामपुर, कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
33 उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.Korbamunicipal.in यह निविदा उपलब्ध है।

नोट :- उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

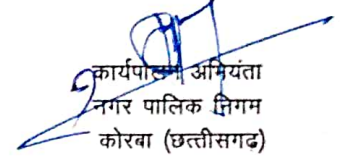
प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाते हेतु प्रेषित।

(डेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम _____

पूर्ण पता _____

मोबाईल नं.- _____


कार्यपालिका अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

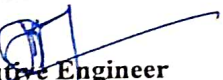
Abstract

विषय :-नगर पालिक निगम कोरबा हेतु इन्नोवा (किस्टा) वाहन ए.सी. सहित किराये पर उपलब्ध करने के संबंध में।

No.	Item of work	Qty	Rate	Amount
1	नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 01 नग इन्नोवा (किस्टा) वाहन ए.सी. सहित किराये पर प्रदाय करने बावत्।	12 माह		
Total Rs.				


Sub Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Assitt. Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Executive Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)